न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ.सौम्या झा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 82/19 प्रार्थना पत्र (136 एल.आर. एक्ट)

श्रीमती नौजी पुत्री श्री मंगलाजी पत्नी कालुजी जाति भील आयु वयस्क निवासी नयाघर नेला तह. गिर्वा उदयपुर

प्रार्थीया

बनाम

1. श्री हुक्मीचन्द पुत्र श्री मंगलाजी जाति भील आयु वयस्क निवासी नयाघर नेला तह. गिर्वा उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बंडगाव जिला उदयपुर।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1 एवं पेरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 05.12.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मौजा नेला पटवार मण्डल सविना खेडा तह. गिर्वा जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 294 आराजी संख्या 1954 से 1958 किता 5 रकबा 0.4450 हेक्टयर भूमि स्थित होकर उक्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 के स्वर्गीय पिता मंगलाजी के वक्त से चली आ रही है। मंगलाजी का स्वर्गवास दिनांक 17.06.1998 को हो गया। मंगलाजी के विधिक वारिसान प्रार्थीया श्रीमती नौजी, विपक्षी संख्या 1 हुक्मीचन्द, एवं स्व. मगलाजी की विधवा पत्नी वाली है। श्रीमती वाली पत्नी मंगलाजी का निधन दिनांक 27.02.2002 को हो गया जिनके प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 ही विधिक वारिसान है। प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहें है।

प्रार्थीया द्वारा पटवारी हल्का से उक्त आराजीयात की जमाबंदी प्राप्त की तो प्रार्थीया को अपने नाम के आगे पुत्री के बजाय बेवा तथा माता वाली बेवा मंगला के बजाय बाली पुत्री मंगला गलत अंकन होने की जानकारी हुई, मंगलाजी के निधन पर नामान्तकरण खोलते वक्त नौजी पिता मंगला के बजाय नौजी बेवा मंगला तथा वाली बेवा मंगला के बजाय बाली पुत्री मंगला जो गलत अंकन कर दिया गया खातेदार का नाम गलत अंकन हो जाने से प्रार्थीया भूमि पर लौन आदि लेने एवं खातेदारी से वंचित हो गयी है, उक्त खाते में शुद्वि के जरिये अंकन कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि मौजा राजस्व ग्राम सविना खेडा तह. गिर्वा में स्थित होकर हमारे मौरूस मंगलाजी के समय से चली आ रही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरा स्वीकार है स्व. मंगलाजी के प्रार्थीया नौजी पुत्री है एवं मैं विपक्षी संख्या 1 पुत्र हूॅ हमारी माता श्रीमती वाली बाई है जिनका निधन हो चुका है। मंगलाजी के निधन पर नामान्मकरण खोलते वक्त नौजी पिता मंगला के बजाय नौजी बेवा मंगला तथा वाली बेवा मंगला के बजाय बाली

पुत्री मंगला का गलत अंकन कर दिया गया है। जिसकी शुद्वि की जाती है तो मुझ विपक्षी संख्या 1 को कोई आपित्त नही है।

विपक्षी संख्या 2 तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीया के पिता मंगला के फौत हो जाने पर राजस्व रेकार्ड में वक्त अमलदरामद नौजी बेवा मंगला एवं प्रार्थी/वादी की माताजी वाली का नाम बाली पिता मंगला दर्ज कर दिया था, प्रार्थी मंगला की पुत्री है एवं वाली स्व. मंगला की पत्नी है। प्रार्थीया का नाम नौजी पुत्रा मगंला एवं प्रार्थीया की माताजी का नाम वाली बेवा स्व. मगंला दर्ज किया जाना कानून सम्मत है। अतः निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में शुद्वि निमानुसार किया जाना उचित है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त नाम में संशोधन कियो जाने हेतु सहमत होने से एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त त्रुटी वक्त नामान्तकरण हुई है जो एक लिपिकीय त्रुटी है जिसे सुधारा जाना आवश्यक होने से प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरस्ती का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार गिर्वा को राजस्व ग्राम मौजा नेला पटवार मण्डल सविना खेडा तह. गिर्वा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खाता संख्या 294 आराजी संख्या 1954 से 1958 किता 5 रकबा 0.4450 हेक्टयर भूमि में नौजी बेवा मंगला एवं प्रार्थीया की माताजी बाली पिता मंगला के बजाय नौजी पुत्री मंगला एवं प्रार्थीया की माता का नाम वाली बेवा मंगला राजस्व रेकार्ड में अमल–दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
गिर्वा–उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Saumya Jha
Date: 2020.01.08 12:26:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: